

27-8-2020
8-2020

पत्रावली पेश हुई
कि पटवारी ह
राजकीय भूमि
05 है0 कि
मालसिंह उ

मुताबिक
अधिका
ने
50

न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

य मिसल संख्या/नयाबत /28/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार
बनाम

**श्री प्रेमसिंह , बिरेन्द्र सिंह , गिरधारी सिंह , महिपाल सिंह समन्त सिंह पुत्र खेतसिंह जाति
राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।**


निर्णय दिनांक:- 01 अक्टूबर 2020


पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है, कि पटवारी हल्का राजोता के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम तिहाड़ा स्थित राजकीय भूमि ख0न0 282/129, 283/129 के रकबा 0.10 है0, 0.20 है0 में से रकबा 0.10 है0, 0.05 है0 किस्म बंजड़ , गैर मुमकिन पहाड़ मे मेड़ लगाकर , छड़ी व बाड़ श्री प्रेमसिंह , बिरेन्द्र सिंह , गिरधारी सिंह , महिपाल सिंह समन्तसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैर सायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा 150 वर्षों से चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नहीं बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नहीं हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1.00 रूपया का 50 गुणा= 50 / रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

र.स.सं.सं.सं. 20-21
पुस्तक 18
50/-


24-12-20


(अनु. शर्मा)
नायब तहसीलदार
खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

